W.R.

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6064/2006/जोधपुर

कोहलाराम पुत्र रूपाराम मृतक जरिये वारिसानः—
1— धर्माराम पुत्र कोहलाराम
2— गंगाराम पुत्र कोहलाराम
3— लालीदेवी बैवा कोहलाराम
समस्त जाति जाट निवासी नाथडाऊ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

..........अपीलाण्ट्स

बनाम

1— सजनी देवी पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी औसिया तहसील औसिया जिला जोधपुर।
2— भोजाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी नाथडाऊ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।

............रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढा, सदस्य

उपस्थितः—
1— श्री दुनीचंद डिढारिया, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
2— श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—30.07.2024

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29—08—2006 जो अपील सं0 093/2005 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने जरिये लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वर्ष 2005 से पूर्व के बेचान में पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में काई हक अधिकार नहीं है उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2018—19 सप्लीमेन्ट पेज 478, आरआरटी 2018 पार्ट 2 पेज 1386, आरआरटी 2017 पार्ट 1 पेज 252, आरआरटी 2016—17 पेज 219 पेश की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार पुत्रियों का संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में धारा 6 के 2005 में संशोधन के पूर्व अधिकार नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 व 14 संशोधित प्रावधान

अपील डिक्री/टीए/6064/2006/जोधपुर

दिनांक 21–12–2004 से पहले के भूमि विक्रय पर लागू नहीं होंगे, धारा 14 के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 945 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1050 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1050/2 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 61 बीघा 01 बिस्वा पूर्व में गिरधारीराम की खातेदारी में दर्ज थी तथा गिरधारीराम के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामांतकरण वर्ष 1975 में स्वीकृत किया गया तथा फौतदगी का नामांतकरण स्वीकृत होने के पश्चात् भोजाराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16–09–1992 को अपने हिस्से की भूमि का अपीलाण्ट को विधिवत बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया ता बहुमूल्य प्रतिफल देकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी का कब्जा व खातेदारी प्राप्त की गयी तथा उसके पक्ष में उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण भी स्वीकृत किया गया है तथा तब से लेकर आज दिनांक तक निरंतर अपीलाण्ट उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। कानूनन बगैर पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये रेस्पोडेण्ट राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रेस्पो0 सजनीदेवी तथा भोजाराम द्वारा मिली भगत कर न्यायालय को धोखा देने की गरज से कार्यवाही की गई है, जबकि रेस्पो0 सजनीदेवी अपने भाई भोजाराम से भूमि अथवा रूपया क्लेम करने हेतु स्वतंत्र है। प्रश्नगत आराजी को अपीलाण्ट द्वारा बहुमूल्य प्रतिफल देकर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार से कब्जा व खातेदारी प्राप्त की गई है तथा तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलाण्ट उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वादी रेस्पो0 का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है तथा कानूनन कब्जे के अभाव में बगैर कब्जे की मांग कर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र संधारण योग्य नहीं होता है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवलमात्र सिविल न्यायालय को है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय में स्वत्व घोषणा/स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को समझनें में गलती की है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एब इनीश्यो वॉइड न होकर वोईडेबल होता है, जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय से प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती। राजस्व न्यायालयों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पंजीबद्ध विक्रय पत्र शून्य न होकर वाईडेबल होते है तथा सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय में घोषणा का दावा नहीं लाया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया था जिसके साथ दस्तावेज पेश किये गये थे जिनको रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् निवेदन किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को अनिर्णित ही छोड दिया जबकि कानूनन अपील के गुणावगुण पर तय करने से पूर्व आवेदन को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी सपठित नियम 101,

107, 111 रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल भाग–2 बाबत् जरिये कमीशनर प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब करने का पेश किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को अनिर्णित ही छोड दिया। वादी रेस्पो0 के पिता की मृत्यु सन् 2004 से पूर्व ही हो चुकी है तथा यदि पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व हो गयी है तथा उसमें पुत्रियों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले है तो अब उसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादी/रेस्पो0 के प्रश्नगत आराजी में कब्जे का अभाव होने से ही उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–07–1993 से खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील को भी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–04–2000 के द्वारा प्रश्नगत आराजी में कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया। प्रश्नगत आराजी के सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के बिन्दु बाबत् कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–08–2006 एवं परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–03–2001 निरस्त फरमाये जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1972 एससी पेज 2685, एआईआर 1993 एससी पेज 1957, आरआरडी 1989 पेज 257, 527, 774, आरबीजे 1999 पेज 128, आरएलआर 2006 वॉल्यम राज0 पेज 525, आरआरटी 2008 वॉल्यम 1 पेज 301, आरआरटी 2017 वॉल्यूम II पेज 1004, आरआरडी 1988 पेज 170, आरएलआर 1992 पार्ट 2 पेज 40, डब्ल्यूएलसी 2000 पार्ट–1 एससी पेज 693, आरआरटी 2001 पार्ट–2 पेज 814 लार्जर बेंच, आरआरटी 2002 पार्ट–2 पेज 752, आरआरटी 2003 पार्ट–1 पेज 709 लार्जर बैंच, आरआरटी 2008 वाल्यूम–2 पेज 1336, डीएनजे 2012 एससी पेज 742, डीएनजे 2013 वाल्यूम–1 पेज 118, आरबीजे 2013 पेज 193, आरआरडी 2007 पेज 815, आरआरटी 2020 वाल्यूम–2 पेज 661, डीएनजे 2015 एससी पेज 1088 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलाण्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए जरिये लिखित एवं मौखिक बहस कथन किया कि प्रश्नगत आराजी गिरधारी राम के खातेदारी की भूमि थी जिसमें उनका 1/4 हिस्सा निहित था। मूल खातेदार गिरधारी राम का देहान्त सम्वत् 2030 में हो गया था जिसके पश्चात् उक्त भूमि भोजा राम पुत्र गिरधारी राम के नाम से जमाबंदी सम्वत् 2030–2033 में दर्ज कर दी गयी। चूंकि गिरधारी राम का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् हुआ था इसलिए धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई पुरूष हिन्दू निर्वसियती मर जाता है तो उस स्थिति में उसकी आराजी का बंटवारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा। वर्तमान रेस्पो0 सजनी देवी गिरधारी राम की पुत्री है जिस कारण वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और इस कारण गिरधारी राम की मृत्यु के उपरांत प्रश्नगत आराजी में उसका 1/8 हिस्सा निहित है। परीक्षण न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गयी थी तथा प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन विश्लेषण उपरांत निर्णय पारित किया गया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी थी।

अपील डिक्री/टीए/6064/2006/जोधपुर

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ति आदेश पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है और इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 01 में यह विवेचन किया था कि गिरधारी राम का देहान्त सम्वत् 2030 अर्थात सन् 1973 में हो गया था यानि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, जिस कारण से सजनी देवी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में गिरधारी राम की सम्पत्ति में 1/8 हिस्सा निहित होना माना गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या दों का निर्णय भी रेस्पो0 के पक्ष में पारित किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने यह माना था कि सजनी देवी विक्रय पत्र में पक्षकार नहीं थी और इसी कारण से सजनी देवी को भोजाराम द्वारा कोहला राम के पक्ष में किये गये विक्रय को अपास्त करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तनकी संख्या 3 में परीक्षण न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि प्रश्नगत आराजी का पूर्व में विभाजन हुआ ही नहीं था तथा तनकी संख्या 3 का निर्णय भी रेस्पो0 के पक्ष में किया गया था। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में यह कथन किया गया है कि ''सन् 2005 में धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था और चूंकि मूल खातेदार गिरधारी राम की मृत्यु हो चुकि है इस कारण पुत्री का पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार निहित नहीं है।'' परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रेस्पों0 सजनी देवी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिस कारण उनका प्रश्नगत आराजी में हक व अधिकार निहित है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि पैतृक सम्पत्ति में पुत्री का हक अधिकार निहित होता है एवं यह माना गया है कि पुत्री भी पुत्र की भांति पैतृक सम्पत्ति में सहखातेदार होती है भले ही उसका जन्म संशोधन के पूर्व में हुआ हो या पश्चात् में। पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा गलत न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है जिनकों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ओवर रूल किया गया है। जिस कारण पुत्रियों का भी पिता की पैतृक सम्पत्ति में हक व अधिकार निहित होता है चाहे पिता की मृत्यु धारा 6 में हुए संशोधन के पूर्व में हुई हो या पश्चात् में। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अपीलाण्ट द्वारा यह उज्र किया गया है कि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार थे जिस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं था जिसके सम्बंध में अपीलाण्ट द्वारा विविध न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये है, जबकि वर्तमान वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बंधित था जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तौर पर स्वीकार किया गया है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–03–2001 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–08–2006 बहाल रखे जावें। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में (एससी) 2020 डीएनजे (रेवे0) पेज 1, (एससी) 2020 आरआरटी पेज 998, (आरबी) 2022 आरआरटी पेज 610, (एससी) 2012 आरआरटी पेज 350, (एससी) 2016 आरआरटी पेज 29, (एससी) 2018 आरआरटी पेज 976, (एचसी) 1984 डब्ल्यूएलएन पेज 608, (एससी) 1999 डीएनजे

पेज 464, (एससी) 1999 आरबीजे पेज 541, (एचसी) 2000 डीएनजे राज0 पेज 751, (एचसी) 2001 आरआरडी पेज 184, (एचसी) 2002 डीएनजे राज0 पेज 879 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5— हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। वादिनी / रेस्पो0 कम 01 सजनी देवी ने परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय जोधपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम नाथडाऊ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित कुल 61 बीघा 1 बिस्वा भूमि में अपना 1/8 हिस्सा निहित होने का कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 02 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/4 हिस्से को भोजाराम से कय करना बताते हुए उक्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना कथन कर वादिनी का वाद खारिज करने का कथन किया। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08—03—2001 एवं डिकी दिनांक 05—05—2001 के द्वारा प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन / विश्लेषण पारित करते हुए वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिकी कर दिया। परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—03—2001 एवं डिकी दिनांक 05—05—2001 से व्यथित होकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादी / अपीलाण्ट कोहलाराम ने अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 09—08—2001 द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक निर्णय दिनांक 08—03—2001 एवं डिकी दिनांक 05—05—2001 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09—08—2001 से व्यथित होकर वादीनी / रेस्पो0 कम 01 सजनी देवी ने मण्डल के समक्ष अपील पेश की जिसे मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21—09—2005 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09—08—2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—09—2005 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 29—08—2006 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—03—2001 एवं डिकी दिनांक 05—05—2001 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29—08—2006 से व्यथित होकर प्रतिवादी / अपीलाण्ट कोहलाराम द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गयी है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ

नकल जमाबंदी सम्वत् 2030—33 प्रदर्श—1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नाथडाऊ में स्थित पुराना खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 944 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 945 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1050 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा कुल 03 किता की 63 बीघा 19 बिस्वा भूमि करना पुत्र मगा 1/4 हि0, गिरधारी पुत्र लाला 1/4 हि0, बना अणदा पि0 मूलाराम 1/4 हि0, गिरधारी पुत्र हेमा 1/8 हि0, सुरजन पुत्र उर्जाराम 1/8 हि0 कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जिसपर नामांतकरण संख्या 400 के द्वारा ''गिरधारी फौत पुत्र नाम भोजा का दर्ज किया गया सुरजन पुत्र उर्जाराम का नाम गलत होने से उर्जाराम के बजाये सरदारा दर्ज कर दुरूस्ती की गयी'' का नोट अंकित है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26 अप्रेल 2000 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—2 संलग्न है।

6— प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में फोटोग्राफ प्रदर्श—डी 1, डी—2, डी—3, डी—4 पेश किये गये है।

7— वादीनी ने अपने पक्ष के समर्थन में गवाह बयान पीडब्ल्यू—1 सजनी देवी, पीडब्ल्यू—2 उदाराम, पीडब्ल्यू—3 बन्नाराम, पीडब्ल्यू—4 सुरजनराम कराये गये है।

8— प्रतिवादी की ओर से गवाह बयान डीडब्ल्यू—1 कोलाराम, डीडब्ल्यू—2 सोनाराम, डीडब्ल्यू—3 कानाराम कराये गये है।

9— अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों के बिन्दू संख्या 2 में कथन किया है कि ''उक्त विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है। विवादित आराजी पर रेस्पो0 का कोई हक व अधिकार नहीं है न ही उनका कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव में वादीनी का वाद मेंटनेबल ही नहीं था। बिना अपीलाण्ट को भूमि पर से बेदखल करवाये खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वाद चलने योग्य नहीं था।'' हम अपीलाण्ट के उक्त तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि विवादित आराजी में वादीनी ने अपना हक हिस्सा होना कथन करते हुए धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया था और प्रश्नगत आराजी अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति होना कथन किया है। हक घोषणा का वाद कभी भी लाया जा सकता है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि स्वयं के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने का कथन किया है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत आराजी जो वादीनी के पिता गिरधारी लाल के 1/4 हिस्से की थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी में वादीनी का नाम भोजाराम के साथ सम्भाग से संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु गिरधारी लाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी वादीनी के भाई भोजाराम के नाम संयुक्त खातेदारी में 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया गया। वादीनी के भाई भोजाराम ने प्रश्नगत आराजी को सन् 1992 में जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से कोहलाराम पुत्र रूपाराम को बेचान कर दी, जबकि उक्त भूमि में वादीनी का भी भोजाराम के बराबर सम्भाग से हक हिस्सा निहित था। इस प्रकार भोजाराम ने अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान किया है जो ab initio void है और ऐसे बेचान को सक्षम न्यायालय में विधिवत् चुनौती देकर निरस्त करवाने की कानूनन

आवश्यकता नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया है कि ''पूर्व में रेस्पो0 सजनी देवी द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में खोले गये नामांतकरण को भी चुनौती दी गयी थी जिसे भी न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 27–07–1996 को खारिज कर दिया गया जिसे आगे चुनौती नहीं दी गयी जिससे उक्त आदेश अंतिम हो चुका है जिससे स्पष्ट है कि भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 सजनी देवी का कोई हक व अधिकार नही बनता है।'' हम अपीलाण्ट के उक्त तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने विवादित आराजी में रेस्पो0 क्रम 01 सजनी देवी का हक अधिकार नहीं होने के जो आधार बताये है उनको बल प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि नामांतकरण के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। नामांतकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसीडिंग है जिससे स्वत्व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों के पैरा संख्या 07 में कथन किया है कि ''वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर था। परीक्षण न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने उक्त दोनों बिन्दुओं के सम्बंध में कोई तनकी कायम नहीं की है।'' हम विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि वादीनी रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 हक घोषणा का वाद पेश किया है जो अवधि बाधित नहीं होता है। परीक्षण न्यायालय को ही उक्त वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उक्त वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमों के पैरा संख्या 08 में कथन किया है कि ''विवादित भूमि का बंटवारा काफी पहले ही हो चुका था तथा वादीनी रेस्पो0 द्वारा इस सम्बंध में कोई उज्र नहीं लिया गया और न ही ऐसी कोई रिलीफ मांगी गयी। वादीनी अपना दावा साबित करने में पूर्णतयः असफल रहीं थी।'' अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में विभाजन हो गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी रेस्पो0 ने विवादित आराजी जो अपने पिता के खातेदारी की भूमि थी उसमें अपना हक हिस्सा निर्धारण करवाने बाबत् धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया था जिसे विधिवत् रूप से परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी में वादीनी को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी रेस्पो0 ने विभाजन का वाद पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादिनी का 1/8 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज रहेगा। संयुक्त खातेदारान में से कोई भी विवादित आराजी के सम्बंध में विभाजन का वाद पेश कर सकता है परंतु प्रश्नगत भूमि आज भी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018(2) पेज 976 प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''Hindu Succession Act, 1956, Joint Family property-Respondent 'A' filed suit for partition-'G' propositus of the family died and left behind two daughters/appellants, two sons and widow-Rights of

the daughters 1/5 share and each 1/5 share of one son sum divided into 5 shares between 'A' his wife, two daughters and respondent No. 1-Trial Court is directed to draw the decree accordingly. इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2020 (2) एससी पेज 998 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि "Hindu Succession Act, 1956-Section 6 (As amended on 9-9-2005)-Devolution of interest in co parcenary property-Rights of the Daughter-Amendment made on 9-9-2005 is whether retrospective or not-two conflict judgments-reference-Daughter is also a coparcener in the property like a son whether born or after amendment-Daughter has same rights and liabilities like a son-Daughter born earlier can claimed the rights in the property disposed of or alienated or partitioned or testamentary disposition taken place before 20.12.2004- On 9.9.2005 father should be living is not necessary since the right in coparcenary property is by birth-Daughters being coparceners are entitled to equal share with the son even after passing of preliminary decree of partition-Plea of oral partition cannot be accepted since the partition is effected by a registered deed or by the decree of the Court-Held, Daughters cannot be deprived of their right of equality in the property conferred under Section 6 of the Act and can claim right w.e.f. 09-09-2005. इसके अलावा विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022(1) पेज 610 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Daughters cannot be deprived from their share in the ancestral land". उक्त न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होता है और रेस्पो0 के कथनों की पुष्टि करता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी/रेस्पो0 ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें वादीनी को प्रश्नगत आराजी में 1/8 हिस्से का सह खातेदार मानते हुए वादिनी का वाद डिक्री किया गया है। चूंकि वादीनी/रेस्पो0 ने प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं का प्रश्नगत आराजी में हक हिस्सा निहित होने के आधार पर अपना हिस्सा तय कराने बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादिनी को विवादित आराजी में उनका हक हिस्सा निहित होना विधिवत् रूप से माना है जिसमें दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने वादीनी रेस्पो0 के पक्ष में धारा 188 के अन्तर्गत अनुतोष प्रदान किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा प्रत्येक इंच भूमि पर माना जाता

है। एक सह खातेदार के पक्ष में दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध विधिवत् रूप से स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 188 का गलत रूप से विवेचन / विश्लेषण कर वादीनी के पक्ष में अनुतोष प्रदान किया है जिससे हम सहमत नहीं है। उपर्युक्त वर्णित विवेचन / विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2020(2) एससी पेज 998 की रोशनी में प्रश्नगत आराजी में वादीनी 1/8 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है, चूंकि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में वादीनी 1/8 हिस्से की सह खातेदार है और वह अन्य सह खातेदारों के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

10— उपर्युक्त विवेचन / विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—03—2001 एवं डिक्री दिनांक 05—05—2001 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—08—2006 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि वादीनी को प्रश्नगत आराजी में 1/8 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य